

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) में निहित प्राविधानों एवं निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त अनुमोदन दिनांक 06.07.2024 के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित वैक्सीनेटरों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1) (ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र०सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री नन्द किशोर, वैक्सीनेटर	पशु चिकित्सालय भियालगांव	पशु चिकित्सालय ऊँचाकोट	निजी अनुरोध
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद, वैक्सीनेटर	पशु चिकित्सालय एन०टी०डी०	पशु चिकित्सालय कफड़खान	निजी अनुरोध

- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को आदेशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
- निजी अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/- (डा० उदय शंकर)  
अपरनिदेशक।

- पत्रांक | 231 /स्था०-03/वा०स्थाना०-वैक्सीनेटर/2024-25 दिनांक 31-07-2024
- प्रतिलिपि:-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- संबंधित कार्मिक को परिपालनार्थ।
  - पशु चिकित्साधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय भियालगांव/ऊँचाकोट
  - पशु चिकित्साधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय एन०टी०डी०/कफड़खान।
  - मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
  - मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
  - निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)  
अपरनिदेशक।